

विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र सं०-6180/मेन-ए/एडमिन (डी)सेक्शन, इलाहाबाद दिनांकित 21 मई, 2025 में उल्लिखित परिपत्र सं०-14/एडमिन(डी) सेक्शन, दिनांकित 15 अक्टूबर 2022 के अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, सीतापुर द्वारा दीवानी न्यायालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति किये जाने के संबंध में एक समिति का गठन किया गया है। समिति की बैठक दिनांक 13-06-2025 को आहूत की गयी जिसमें ग्रेड पे 4200 में रिक्त तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के पदों की संख्या के संदर्भ में प्रशासनिक अधिकारी एवं तृतीय लिपिक/लेखा लिपिक से आख्या आहूत की गयी, उनकी आख्यानुसार तृतीय श्रेणी के वर्तमान में 7 पद रिक्त हैं।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र सं०-6180/मेन-ए/एडमिन (डी)सेक्शन, इलाहाबाद दिनांकित 21 मई, 2025 में उल्लिखित परिपत्र सं०-14/एडमिन(डी) सेक्शन, दिनांकित 15 अक्टूबर 2022 के अनुपालन में जनपद न्यायालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों में से Substantive पदों के सापेक्ष मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद को अवगत कराने के उपरांत पुनर्नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी—

- 1-उक्त जनपद न्यायालय के सेवानिवृत्त कर्मचारी की आयु 65 वर्ष पूर्ण न हुई हो।
- 2-पुनर्नियुक्ति एक बार में 01 वर्ष के लिए होगी अथवा जब तक वह 65 वर्ष की आयु पूरी न कर ले।
- 3-उक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी जिसको पुनर्नियुक्ति प्रदान की जायेगी, को अंतिम आहरित वेतन जिसमें से पेंशन की राशि घटाई जायेगी, के सिद्धांतों के आधार पर वेतन की धनराशि देय होगी।
- 4-संबंधित कर्मचारी का पूर्व रिकार्ड और उसकी वार्षिक चरित्र पंजिका को ध्यान में रखते हुए उसे नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में यदि कोई जनपद न्यायालय का सेवानिवृत्त कर्मचारी तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर उपरोक्त निर्देश के अनुसार पुनर्नियुक्ति प्राप्त करने का इच्छुक हैं तो वह 10 दिन के भीतर जनपद न्यायालय के प्रशासनिक कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये तथा एक प्रति मा० उच्च न्यायालय की Official website पर प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित की जाये।

(ज्ञान प्रकाश-III) 13.6.2025

अध्यक्ष,

सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति समिति/
अपर जिला जज, कोर्ट सं०-1,
सीतापुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-बाह्य न्यायालय बिसवां एवं महमूदाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने न्यायालय के परिसर में नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवा देंगे।
- 2-ग्राम न्यायालय सिधौली एवं लहरपुर को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने न्यायालय के परिसर में नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवा देंगे।
- 3-सिस्टम आफीसर, कम्प्यूटर सेक्शन, दीवानी न्यायालय सीतापुर को इस आशय से प्रेषित कि वह न्यायालय के वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।
- 4-प्रशासनिक अधिकारी दीवानी न्यायालय से तृतीय श्रेणी सेवानिवृत्त कर्मचारीगण जिनकी आयु 65 वर्ष अभी पूर्ण नहीं हुई है, को दूरभाष से अवगत करायें।

(ज्ञान प्रकाश-III) 13.6.2025

अध्यक्ष,

सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति समिति/
अपर जिला जज, कोर्ट सं०-1,
सीतापुर।